रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 18, 1988/ज्येष्ठ 28, 1910
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18, 1988/JYAISTHA 28, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than Defence)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून, 1988

सा.का.नि. 475. केन्द्रीय सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम 1969 के नियम 24 के अनुसरण में, भूतपूर्व कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी (घ) (विशेष प्रतियोगिता परीक्षा) विनियमन, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी (घ) (विशेष प्रतियोगिता परीक्षा) संशोधन विनियम 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी (घ) (विशेष प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम 1971 में,

(1) उद्देशिका में "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

(2) विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संघ की नौसेना, सेना और वायुसेना में किसी रैंक में चाहे शोधक या अशोधक सेवा की है (किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, साधारण रिजर्व इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना, और अर्धसैनिक बलों में सेवा की है), और

(i) जो ऐसी सेवा से अपनी पेंशन उपार्जित करने के पश्चात सेवा निवृत्त हो गया है; या

(ii) जो सेना सेवा के परिणामस्वरूप अपने नियंत्रण के बाहर चिकित्सीय आधार पर सेवा से निमुक्त कर दिया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य निःशक्तता पेंशन प्रदान की गई हैं; या

(iii) जो ऐसी सेवा से अपनी स्वयं की प्रार्थना पर से अन्यथा स्थापन में कमी करने के परिणामस्वरूप निर्मुक्त कर दिया गया है; या

(iv) जो ऐसी सेवा से स्वयं की प्रार्थना पर या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण सेवोन्मोचित या पदच्युत किए जाने से भिन्न

(iii) In respect of Staff Artists converted as Government servants the following instructions will apply :—

(1) After becoming Government servants, the Staff Artists will continue as separate category as at present. The merger of Staff Artists holding civil posts with regular cadre will be achieved at the time of promotion to the next higher grade in the cadre.

(2) For the purpose of promotion there will be two separate Seniority lists i.e., (i) of existing regular categories mentioned as at note (i); and (ii) such staff artists holding the posts in the same pay scale as employees in Category (i).

(3) The promotion to next grade from the two seniority lists will be on a quota basis the ratio of wich will be determined on the basis of existing number of posts in each of these categories.

(4) The inter-se-seniority of officers from various categories will be determined on the basis of joining the post in that grade on regular basis. The one who joined earlier will be senior to another who joins later.

Note : Principal Rules called the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, were notified vide G.S.R. No. 1776 dated 30-11-1964 and subsequently the following amendments havve been notified :

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
2. ,, No. 5/2/67-B(A), dated 2 -3-1967
3. ,, No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968
4. ,, No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
5. ,, No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
6. ,, No. 16/20/69-B(A), dated 30-3-1970
7. ,, No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-8971
8. ,, No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. ,, No. 1/8/71-B(1), dated 2-2-1972
10. ,, No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. ,, No. 1/4/72-B/A), dated 16-6-1972
12. ,, No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. ,, No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973
14. ,, No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. ,, No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
16. ,, No. 1/7/70-B(A) dated 15-5-1974
17. ,, No. 1/7/1970-B(A), dated 8-8-1974
18. ,, No. 1/3/1974-B(A), dated 21-5-1976
19. ,, No. 12019/10/79-B(A), dated 26-12-1978
20. ,, No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
21. ,, No. 12019/8/80-B(A), dated 27-4-1981
22. ,, No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982
23. ,, No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
24. ,, No. 45011/33/82-B(A), dated 19-9-1983
25. ,, No. 7/19/83-AR/B(A), dated 3-7-1984
26. ,, No. 3/25/83-CRCR/S.II/AIR/B(A), dt. 2-6-1987
27. ,, No. 7/5/86-AR/AIR/B(A), dated 10-9-87
28. ,, No. 7/13/86-AR(B)(A), dt. 10-11-1987
29. ,, No. 8/36/87-SII/B(A), dated 30-12-1987
30. ,, No. 14/19/86-S.II/S.VI/B(A), dated 27-4-1988.

[No. 2/7/83-CRCR/S.II/S.VIII/B(A)]

नई दिल्ली, 25 मई, 1988

सा.का.नि. 496—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती (तीसरा संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
"18. प्रशासनिक अधिकारी	75* (1988)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित,	2000-60-2300-द.रो.-75-3200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

2	3	
*कार्यभार के आधार पर	अननुसचिवीय परिवर्तन किया जा सकता है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा।
11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : आकाशवाणी दूरदर्शन केन्द्रों/कार्यालयों के प्रधान लिपिक/लिखाकार ज्येष्ठ भंडारी जिन्होंने इन श्रेणियों में कुल मिलाकर 7 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण :—प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधि श्रेणी/पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी।

विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
13	14
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. उप महानिदेशक (प्रशासन) आकाशवाणी —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (कार्मिक और प्रशिक्षण)/निदेशक (कार्मिक) दूरदर्शन —सदस्य। 3. निदेशक (प्रशासन और वित्त) आकाशवाणी—सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।"

[सं.फ./14/18/86-एस. II-ए.आई.आर/बी(ए)]

टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि.सं. 347, तारीख 17-3-1962 के अधीन भारत के राजपत्र 1962 (असाधारण) भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित हुए थे और बाद में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :—

1. अधिसूचना सं. 5(9) 158-बी (ए) तारीख 4-5-62 सा.का.नि. 721 तारीख 26-5-62
2. अधिसूचना सं. 11(6) 162-बी (ए) तारीख 18-10-62 सा.का.नि. 1412 तारीख 27-10-62
3. अधिसूचना सं. 5(89) 58-बी (ए) तारीख 20-11-62 सा.का.नि. 1627 तारीख 1-12-62
4. अधिसूचना सं. 9(7) 162-बी (ए), तारीख 8-1-63 सा.का.नि.सं. 123 तारीख 8-1-63
5. अधिसूचना सं. 13 (55) 61-बी (ए), तारीख 8-7-63 सा.का.नि. सं. 1225 तारी 20-7-63
6. अधिसूचना सं. 5(43)-62-बी (ए), तारीख 5-8-63 सा.का.नि. सं. 1319, तारीख 10-8-83
7. अधिसूचना सं. 11/2/61-बी (ए), तारीख 31-8-62 सा.का.नि. सं. 1310 तारीख 12-9-64
8. अधिसूचना सं. 11/3/63-बी (ए), तारीख 31-10-64 सा.का.नि. सं. 1564 तारीख 15-10-64
9. अधिसूचना सं. 11/6/64-बी (ए), तारीख 28-4-65 सा.का.नि.सं. 705 तारीख 8-5-65
10. अधिसूचना सं. 5/45/65-बी (ए), तारीख नवम्बर, 1965
11. अधिसूचना सं. 11/4/65-बी (ए), तारीख 31-12-65 सा.का.नि.सं. 58 तारीख 8-1-66
12. अधिसूचना सं. 11/3/65-बी (ए), तारीख 1-11-65 सा.का.नि. सं. 1782 तारीख 26-11-66
13. अधिसूचना सं. 11/4/65-बी (ए) तारीख 24-12-66 सा.का.नि. सं. 1973 तारीख 29-12-66

14. अधिसूचना सं. 7/1/67-बी (ए) तारीख दिसम्बर, 1967
15. अधिसूचना सं. 20/6/57-बी (ए), तारीख 23-8-68 सा.का.नि. सं. 541 तारीख 23-8-68
16. अधिसूचना सं. 7/1/67-बी (ए), तारीख 30-4-68 सा.का.नि. सं. 910 तारीख 30-4-68
17. अधिसूचना सं. 20/6/67-बी (ए), तारीख 17-7-69 सा.का.नि. सं. 1761 तारीख और 1821
18. अधिसूचना सं. 7/12/68-बी (ए), तारीख 19-7-69 सा.का नि. सं. 1682
19. अधिसूचना सं. 17/9/68-बी (ए), तारीख 6-1-70 सा.का.नि. सं. 173 तारीख 31-1-70
20. अधिसूचना सं. 17/7/69-बी (ए), तारीख 21-1-70 सा.का.नि. सं. 204 तारीख 7-2-70
21. अधिसूचना सं. 17/8/69-बी (ए), तारीख 2-4-70 सा.का.नि. सं. 723 तारीख 2-5-70
22. अधिसूचना सं. 7/2/68-बी (ए) तारीख 24-4-70 सा.का.नि. स. 1161 तारीख 15-8-70
23. अधिसूचना सं. 1/4/70-बी (ए), तारीख 25-8-70
24. अधिसूचना सं. 17/9/69-बी (ए), तारीख 21-2-72 सा.का.नि.सं. 367 तारीख 2-3-72
25. अधिसूचना सं. 1/9/70-बी (ए), तारीख 6-6-72 सा.का.नि.सं. 869 तारीख 8-9-72
26. अधिसूचना सं. 1/7/71-बी (ए), तारीख 13-2-73 सा.का.नि.सं. 228 तारीख 3-3-73
27. अधिसूचना सं. 1/9/72-बी (ए), तारीख 10-4-73 सा.का.नि. सं. 476 तारीख 5-5-73
28. अधिसूचना सं. 1/5/73-बी (ए), तारीख 16-2-74 सा.का.नि. सं. 256 तारीख 9-3-74
29. अधिसूचना सं. 1/12/73-बी (ए), तारीख 4-4-75
30. अधिसूचना सं. 1/12/73-बी (ए), तारीख 24-6-75 सा.का.नि. सं. 894 तारीख 19-7-75
31. अधिसूचना सं. 17(9)/69-बी (ए), तारीख 11-6-75 सा.का.नि. सं. 801 तारीख 28-6-75
32. अधिसूचना सं. 1/15/75-बी (ए), तारीख 15-4-76 सा.का.नि. सं. 677 तारीख 15-5-76
33. अधिसूचना सं. 1/12/73-बी (ए), तारीख 4-11-76 सा.का.नि. सं. 1671 तारीख 27-11-76
34. अधिसूचना सं. 12019/9/78-बी (ए), तारीख 26-12-78 सा.का.दि. सं. 95 तारीख 20-1-79
35. अधिसूचना सं. 12018/4/77-बी (ए), तारीख 3-9-80 सा.का.नि. सं. 1118 तारीख 25-10-80
36. अधिसूचना सं. 12019/1/78-बी (ए), तारीख 16-12-80 सा.का.नि. सं. 44 तारीख 10-1-81
37. अधिसूचना सं. 12019/1/80-बी (ए) तारीख 20-10-81 (प्रथम संशोधन) सा.का.नि.सं. 1002 तारीख 7-11-81
38. अधिसूचना सं. 12018(4)/77-बी (ए), तारीख 15-1-82 सा.का.नि. सं. 137 तारीख 6-2-82
39. अधिसूचना सं. 45011/83-82/बी (ए), तारीख 23-10-84 सा.का.नि.सं. 740 (ई जे)
40. अधिसूचना सं. 12019/6/83-बी (ए), तारीख 28-6-65
41. अधिसूचना सं. 450011/83-82-बी (ए), वोलूम-4(2) तारीख 8-5-87
42. अधिसूचना सं. 1/19/86-एस-III ए.आई.आर. बी(ए) तारीख 25-10-1987
43. अधिसूचना सं. 8/45-87-एस 2 ए आई आर/बी (ए) तारीख 4-4-1988
44. अधिसूचना सं. 7/6/87-ए आर/बी (ए) तारीख 12-4-88

New Delhi, the 25th May, 1988

G.S.R. 496.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962*, namely;—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, for serial number 18 relating to the post of Administrative Officer and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1772.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promottees

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Administrative Officer	75* (1988) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted
10	11	12	13	14
Two years	By promotion	Promotion : Head Clerks/Accountants/ Senior Storekeepers of All India Radio/Doordarshan Statistics/Offices with 7 years combined regular service in the grades. Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) : 1. Deputy Director General (Administration), All India Radio—Chairman. 2. Deputy Director General (Personnel & Training)/ Director (Personnel), Doordarshan—Member. 3. Director (Administration & Finance), All India Radio—Member.	Consultation with the U.P.S.C. [illegible] necessary".

[No. 14/18/86-S. II/AIR//B(A)]

Note: *Principal rules published vide GSR No. 347, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 (Extraordinary) Part II Section 3 Sub-Section (1) Subsequently the following amendments were notified:—

1.	Notification	No. 5(9)/58-B(A), dated 4-5-62 GSR No. 721 dated 26-5-62
2.	,,	No. 11(6)/62-B(A), dated 18-10-62 GSR No. 1442 dated 27-10-62
3.	,,	No. 5(89)/58-B(A), dated 20-11-62 GSR No. 1627 dated 1-12-62
4.	,,	No. 8/9/62-B(A), dated 8-1-63 GSR No. 123 dated 8-1-63
5.	,,	No. 13/55/61-B(A) dated 8-7-63 GSR No. 1225 dated 20-7-63
6.	,,	No. 5/43/62-B(A), dated 5-8-63 GSR No. 1319 dated 10-8-63
7.	,,	No. 11/2/61-B(A), dated 31-8-64 GSR No. 1310 dated 12-9-64
8.	,,	No. 11/3/63-B(A), dated 31-10-64 GSR No. 1564 dated 15-10-64
9.	,,	No. 11/6/64-B(A), dated 28-4-65 GSR No. 705 dated 8-5-65
10.	,,	No. 5/45/65-B(A), dated November, 1965
11.	,,	No. 11/4/65-B(A), dated 31-12-65 GSR No. 58 dated 8-1-66
12.	,,	No. 11/3/65-B(A), dated 1-11-65 GSR No. 1782 dated 26-11-66
13.	,,	No. 11/4/65-B(A), dated 24-12-66 GSR No. 1973 dated 29-12-66
14	,,	No. 7/1/67-B(A), dated December, 1767
15.	,,	No. 20/6/67-B(A), dated 23-3-68 GSR No. 541 dated 23-3-68
16.	,,	No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-68 GSR No. 910 dated 30-4-68
17.	,,	No. 20/6/67-B(A), dated 17-7-69 GSR No. 1761 and 1821

18.	Notification	No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69 GSR No. 1682
19.	,,	No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-70 GSR No. 173 dated 31-1-70
20.	,,	No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70 GSR No. 204 dated 7-2-70
21.	,,	No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-70 GSR No. 723 dated 2-5-70
22.	,,	No. 7/2/68-B(A), dated 24-4-70 GSR No. 1161 dated 15-8-70
23.	,,	No. 1/4/70-B(A), dated 28-5-70
24.	,,	No. 17/9/69-B(A), dated 21-2-72 GSR No. 367 dated 2-3-72
25.	,,	No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-72 GSR No. 869 dated 8-7-72
26.	,,	No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73 GSR No. 228 dated 3-3-73
27.	,,	No. 1/9/72-B(A), dated 10-4-73 GSR No. 476 dated 5-5-73
28.	,,	No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-74 GSR No. 256 dated 9-3-74
29.	,,	No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-75
30.	,,	No. 1/12/73-B(A), dated 24-6-75 GSR No. 894 dated 19-7-75
31.	,,	No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-75 GSR No. 801 dated 28-6-75
32.	,,	No. 1/15/75-B(A), dated 15-4-76 GSR No. 677 dated 15-5-76
33.	,,	No. 1/12/73-B(A), dated 4-11-76 GSR No. 1671 dated 27-11-76
34.	,,	No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-78 GSR No. 95 dated 20-1-79
35.	,,	No. 12018/4/77-B(A), dated 4-9-80 GSR No. 1118 dated 25-10-80
36.	,,	No. 12019/1/78-B(A), dated 16-12-80 GSR No. 44 dated 10-1-81
37.	,,	No. 12019/1/80-B(A), dated 20-10-81 (First Amendment), GSR No. 1002 dt. 7-11-81
38.	,,	No. 12018/4/77-B(A), dated 15-1-82 GSR No. 137 dated 6-2-82
39.	,,	No. 45011/83-82/B(A), dated 23-10-84 GSR No. 740(EO)
40.	,,	No. 12019/6/83-B(A), dated 28-6-85
41.	,,	No. 45011/83-82/B(A)-Vol. IV(II) dated 8-5-87
42.	,,	No. 1/19/86-S.II/AIR/B(A), dated 25-10-87
43.	,,	No. 8/45/87-S.II/AIR/B(A), dated 4-4-88
44.	,,	No. 7/6/87-AR/B(A), dated 12-4-88

नई दिल्ली, 26 मई, 1988

सा.का.नि. 497.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह 'ख' पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में आमंत्रण तथा आतिथ्य अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—